अम्बेडकर युवा मंच का उल्लेखनीय मूल्य जनतंत्र, न्यायप्रियता, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, समानता, बंधुत्व।

#### सदस्यता

पंचायत के दिलत/आदिवासी समुदायों के 18-29 वर्ष के सभी युवा-युवती इसके सदस्य बन सकते हैं जो इस मंच के संकल्प और उद्देश्य को स्वीकार करते हुये अपना सहयोग देने के लिए तैयार हो।

अम्बेडकर युवा मंच का कार्य



- 1. ग्रामस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच का कार्य
- महिने में दो बार बैठक करना।
- स्व-अध्ययन तथा सामुहिक अध्ययन करना।
- प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना।
- बैठकों का दस्तावेजीकरण करना।
- 2. पंचायतस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच का कार्य
- महिने में दो बार बैठक करना।
- नियमित रूप से स्व-अध्ययन, सामुहिक अध्ययन, सेट प्रैक्टिस, कम्प्यूटर अभ्यास करना।
- युवा संसाधन केन्द्र को व्यवस्थित रखना
- युवा संसाधन केन्द्र को सूचना सम्पन्न बनाना।
- गाँव एवं पंचायत के विकासात्मक कार्यों का निगरानी करना।
- गाँव एवं पंचायत की समस्याओं को ग्राम सभा में उठाना
- दस्तावेजीकरण करना
- 3. प्रखंडस्तरीय/जिलास्तरीय अम्बेडकर युवा मंच का कार्य
- गाँव एवं पंचायत के सदस्यों/नेतृत्वकर्ताओं के साथ समन्वय बनाये रखना।
- ग्रामस्तरीय एवं पंचायतस्तरीय समस्याओं पर नेतृत्वकर्ताओं का मार्गदर्शन करना।
- पंचायतस्तरीय सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समस्याओं को चिन्हित करना।
- समस्याओं का प्राथमिकीकरण करना।
- प्रखंडस्तर पर सरकारी पदाधिकारियों से समन्वय बनाये रखना।
- लाभकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने में लोगों को मदद करना।
- पंचायतस्तरीय समस्याओं तथा अन्य मुद्दों से राज्यस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच को अवगत कराते रहना।

- 4. राज्यस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच का कार्य
- तीनों स्तर के युवा मंचों के साथ समन्वय बनाये रखना।
- पंचायत एवं प्रखंड से प्राप्त समस्या के निदान हेतु रणनीति तय करना।
- समस्या से सम्बंधित साक्ष्य एकत्र करना।
- समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ समन्वय बनाये रखना।
- उनके कार्यक्रमों में शामिल होना तथा समय-समय पर अपने कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित करना।
- राज्यस्तर पर सरकारी पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाये रखना।
- जनवकालत हेतु पहल करना।
- राज्यस्तर पर अम्बेडकर युवा मंच का अच्छा पहचान बने, इसके लिए कार्य करना।

वर्तमान में अम्बेडकर युवा मंच का मुख्य कार्य करता हैः

- 1. पंचायत युवा संसाधन केन्द्र को नियमित एवं व्यवथित रखना।
- 2. पटना, जमुई, बॉंका, शेखपुरा, मुंगेर और समस्तीपुर जिलों के 25 पंचायतों में युवा संसाधन केन्द्र की स्थापना की गयी है। इसके तहत पुस्तकालय, कम्प्यूटर और सामुहिक अध्ययन की सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं। इसे उपयोगी और संसाधन सम्पन्न बनाने की दिशा में हमारा प्रयास जारी है।
- 3. पंचायत स्तर पर पंचायत सूचना केन्द्र की शुरूआत की गयी है। पंचायत के प्रत्येक युवा संसाधन केन्द्र को सूचना केन्द्र के रूप में विकसित करने का हम प्रयास कर रहे है। इसकी शुरूआत 25 पंचायतों में हो चुकी है। इन केन्द्रों के द्वारा पंचायत के लोगों को उपयोगी जानकारी देना, पंचायत से सम्बंधित आवश्यक जानकारियों को एकत्र करना एवं गाँव वालों को इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराना आदि कार्य किये जाते हैं।
- 4. गॉॅंव/पंचायत में उत्साह, प्रेरणा जगाना। हम पंचायत के बच्चों, युवाजनों, महिला-पुरुषों को शिक्षा, स्वच्छता आदि विषयों पर संवाद सभा का आयोजन करते हैं।
- 5. गाँव/पंचायत के विकास में पहल करना। पंचायत/गाँव में सरकारी योजनाओं के तहत विकासात्मक कार्य जैसे नली-गली की आवश्यकताओं को चिन्हित कर जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। वृद्धा, विधवाऔर विकलांग पेंशन आदि कल्याणकारी योजनाओं के दस्तावेज बनवाने में गाँव वालों की मदद करते हैं।



बिहार दलित विकास समिति रुकुनपुरा, बेली रोड, पटना-८०००१४



# अम्बेदकर युवा मच



दलित/अदिवासी युवाओं का गतिशील मंच





# परिचर

अम्बेडकर युवा मंच डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मूल मंत्र 'शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो ' पर आधारित हम दिलत-आदिवासी युवाओं का मंच है। अपने-अपने समुदाय और राष्ट्र के निमाण में संगठित होकर आपसी सहयोग से अपने-आप को तैयार करने तथा सशक्त बनने की प्रेरणा यह मंच हमें प्रदान करता है। यह मंच छः साल पहले 2016 में अपने एक चिन्तन शिविर से उभरा है। शिविर में हम युवाओं ने अपनी पाँच जरूरतों को चिन्हित किया जो आगे बढ़ने में हमारी सहायता कर सकती है। ये जरूरतें थी 1. गुणवत शिक्षा 2. व्यक्तित्व विकास 3. संगठन 4. रोजगार 5. ग्रामस्तरीय विकासात्मक कार्यों में अपनी सहभागिता। चिन्तन शिविर में हमारे सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि आखिर हमारी इन जरूरतों को कौन पूरा करेगा? हमारी यह समझ बनी थी कि विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए हमारी अपनी चिन्हित जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते, ना सरकार पर, ना हमारे बीच कार्यरत संगठनों पर और न अपने माता-पिताओं पर। हाँ वे हमारे सहयोगी अवश्य बन सकते हैं परन्तु उन्हें पूरा करना पूर्णतः हमारी जिम्मेदारी है। संगठित होकर इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आगे बढ़ने का हम युवाओं का संकल्प ही इस मंच की नीव है।

#### लक्ष्य

दलित आदिवासी समुदाय के विकास के लिए कार्य करते हुए समतामूलक, न्यायप्रिय, सद्भावी, लोकतांत्रिक एवं मानवमूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण में सहभागी होना।

#### मिशट

आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं अन्य क्षेत्रों में दलित/आदिवासी समुदायों की बराबर की भागीदारी एवं हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने हेतु अपने एवं अपने समुदायों की मानव संसाधनों, क्षमताओं, प्रतिभाआं एवं चेतना विकसित करना। विशेष कर हम युवाओं का मिशन है कि मेहनत, संगठन, मित्रता के जिरेये अपने में छिपी अमूल्य मानव संसाधनों को विकसित करते हुए दलित–आदिवासी समुदायों के विकास कार्य के लिए अपने को सक्षम बनाना।



# उददेश्य

- पंचायत स्तर पर दलित/आदिवासी युवाओं का सशक्त संगठन बनाना।
- सामुदायिक अध्ययन को बढ़ावा देना और अपनी शैक्षणिक दक्षता को मजबूत करना।
- नई तकनीकी शिक्षाओं को प्राप्त करने हेतु सामुहिक पहल करना।
- देश और राज्य के अलग-अलग संस्थानों एवं निजी क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार प्राप्त करने के लिए तैयारी करना।
- अपने समुदायों मं स्वरोजगार/उद्यमिता को विकसित करने की पहल करना।

- पंचायती राज व्यवस्था के तहत अपने पंचायत के विकास में पहल करता।
- पंचायत के नई पीढ़ी के बच्चों को गुणवत शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना एवं मदद करना।
- महात्मा गाँधी, बाबा अम्बेडकर जैसे महापुरूषों के आदर्शों पर चलने वाले क्षमतावान नेतृत्व को विकसित करना।
- सामाजिक विषमता के विरुद्ध आवाज उठाना।

### सदस्यता

पंचायत के दिलत/आदिवासी समुदायों के 18 से 29 वर्ष के सभी यवा-युवती इसके सदस्य बन सकते हैं जो इस मंच के संकल्प और उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं।

सदस्य बनने के लिए निर्धारित सदस्यता शुल्क का वहन करना अनिवार्य है।

#### गठन

- 1. ग्रामस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच का गठनः
- ग्रामीण युवाओं के साथ तीन बैठक करना।
- पहली बैठक में युवा के साथ संगठन के महत्व और जरूरतों पर चर्चा करना।
- दूसरी बैठक में अम्बेडकर युवा मंच क्या है, लक्ष्य उद्देश्य एवं कार्य पर चर्चा।
- तीसरी बैठक में सदस्यता ग्रहण एवं आम सहमित के आधार पर तीन नेतृत्वकर्ताओं (अध्यक्ष, सिचव एवं कोषाध्यक्ष) का चुनाव किया जाता है। तीन बैठक के आयोजन के पश्चात ही ग्रामस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच का गठन किया जाता है।
  - 2. पंचायतस्तरीय अम्बेडकर युवा मंचः
- पंचायत अंतर्गत गाँव के नेतृत्वकर्ता मिलकर पंचायतस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच का गठन करते हैं।
- लोकतांत्रिक प्रकिया के तहत एवं आम सहमति के आधार पर पंचायतस्तर पर तीन नेतृत्वकर्ताओं का चयन किया जाता है।
- 3. प्रखंडस्तरीय/जिलास्तरीय अम्बेडकर युवा मंचः
- पंचायतस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच के नेतृत्वकर्ता मिलकर प्रखंडस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच का गठन करते हैं।
- आम सहमति एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रखंडस्तरीय नेतृत्वकर्ता का चुनाव किया जाता है।
- 4. राज्यस्तरीय अम्बेडकर युवा मंचः
- प्रखंड या जिलास्तरीय नेतृत्वकर्ता मिलकर राज्यस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच का गठन करते हैं।
- राज्यस्तरीय अम्बेडकर युवा मंच के सदस्य अपने बीच से आम सहमति के आधार पर तीन नेतृत्वकर्ता का चुनाव करते हैं।

अम्बेडकर युवा मंच का संरचनाः ग्रामस्तरीय संगठनः

> राज्यस्तरीय संगठन युवाओं की संख्याः १५ जिलास्तरीय लीडर योग्यताः स्नातक पास लीडरः ३

# प्रखंड/जिलास्तरीय संगठन

- 1. कुल जिलों की संख्याः 10/5 युनिट
- 2. प्रति प्रखंड/जिला युवाओं की संख्याः 12-18 योग्यताः स्नातक, उम्रः 22-29 लीडरः 3

## पंचायतस्तरीय संगठन

- 1. कुल पंचायतों का संख्याः ३०-३५
- 2. प्रति पंचायत युवाओं की संख्याः ९ ३. योग्यताः इंटर पास
- 4. उम्रः 20-29 5. लीडरः 3

#### ग्रामस्तरीय संगठन

- 1. कुल गाँव की संख्याः 100
- 2. प्रति गाँव युवाओं की संख्याः 15-20
- 3. योग्यताः मैट्रिक पास
- 4. उम्रः 18-27 5. लीडरः 3

# अम्बेडकर युवा मंच का संरचनाः





